कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक वृत्त महवा जिला दौसा

क्रमांक :–02　　　　　　　　　　　　दिनांक :– 01–01–2021

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
दौसा, जिला दौसा

विषयः–परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार मोबाईल नम्बर 9828346151 निवासी वार्ड नम्बर 01 थाना महवा जिला दौसा के सम्बन्ध में जांच कर रिपोर्ट भिजवानें बाबत।

प्रसंगः–सम्पर्क पोर्टल परिवाद क्रमांक 12200679144742 दिनांक 23.12.20 की पालना में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक परिवादों के संदर्भ में निवेदन है कि सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद श्री ज्ञानेश कुमार निवासी वार्ड नम्बर 01 थाना महवा जिला दौसा का इस प्राप्त हुआ हैं कि **दिनांक 02/12/2020 को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक "बलात्कार पीड़िता ने उपाधीक्षक कार्यालय के सामने खाया विषाक्त" के सम्बन्ध में|**

उक्त परिवद के संबंध मे वाक्यात इस प्रकार से निवेदन है कि **पिडिता श्रीमती शीला देवी** पत्नी बाबूलाल जाति मीणा उम्र 27 साल निवासी बालाहेडा थाना महवा जिला दौसा ने थाना महवा पर उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश कि की दिनाँक 23.8.20 को प्रातः 11 बजे अपनी भेसो को घास काटने हेतु बडाबास बालाहेडा तह० मण्डावर मे गई थी प्रार्थीया अकेली घास काट रही थी अचानक अप्रार्थी मुकेश पुत्र लिक्ष्मन जागिड एवं समयसिह पुत्र विश्राम मीना नि० बालाहेडा तह. मण्डावर छुपकर आये और समयसिह ने मुझ प्रार्थीया को पीछे से पकडकर गीरा दिया और मुह पर हाथ से बन्द कर दिया एवं हाथ पकड लिये और अप्रार्थी मुकेश पुत्र लिक्ष्मन जागिड ने मुझ प्रार्थीया के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया ओर इसके बाद मे मुकेश ने मुह हाथ से जबरन दबालिया ओर हाथ पकड लिये ओर समयसिह ने मुझ प्रार्थीया के साथ जबरन जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार किया ओर जाते समय मुझको दोनो ने धमकी दी कि यदि घर पर जाकर किसी को बताया या पुलिस मे रिपोर्ट की तो पूरे परिवार को ही खत्म कर देगे एवं तेरा मर्डर कर देगे मै प्रार्थीया डरकर घर आई ओर आप बीती अपने पति को बताई अप्रार्थी मुझ अप्रार्थीया के पडोसी ग्राम के रहने वाले है । उन्हे मे भलि प्रकार जानती हूँ अतः निवेदन है कि रिपोर्ट दर्ज कर मेरा मेडिकल बनवाकर अप्रार्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे । वगैरा आशय की रिपोर्ट पर थाना महवा पर मु०न०

576/2020 धारा 376 डी आईपीसी 3 (2)(va) एससी/एसटी एक्ट मे दर्ज होकर तफतीश मन सी ओ महवा द्वारा शुरु की गयी।

प्रकरण मे निरीक्षण घटनास्थल, कशीद नक्शा मौका, बयान पिडिता श्रीमती शीला देवी धारा 161 सीआरपीसी एवं धारा 164 सीआरपीसी, बयान पिडिता पति श्री बाबूलाल एवं चश्मदीद गवाह अमरसिंह व बाबूलाल पुत्र श्री मटरूराम, श्री सुप्रिम मीना व श्रीमति इन्द्रादेवी मीना, श्रीमति भगवानी मीना एवं पूछताछ मुल्जिम मुकेश जॉगिड से की गयी दयिाफ्त एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से मुल्जिम मुकेश पुत्र श्री लक्ष्मण जॉगिड जाति खाती उम्र 29 साल निवासी बालाहेडा थाना महवा जिला दौसा के विरुद्घ जुर्म धारा 376 डी आईपीसी 3 (2)(v) एससी/एसटी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया है । प्रकरण मे घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्पलेन्डर नम्बर आर0 जे0 29 2 एम 5377 का मालिक श्री अशोक जॉगिड से दरियाफ्त कर बयान धारा 161 सीआरपीसी लिये जाकर शामिल पत्रावली किये गये । मुल्जिम मुकेश पुत्र श्री लक्ष्मण जॉगिड जाति खाती उम्र 29 साल निवासी बालाहेडा थाना महवा जिला दौसा के विरुद्घ जुर्म धारा 376 डी आईपीसी 3 (2)(v) एससी/एसटी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर मुल्जिम को दिनांक 03-11-2020 को न्यायालय मे पेश किया जा चुका है । वर्तमान मे प्रकरण की पत्रावली श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला दौसा के आदेशानुसार प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जिला दौसा द्वारा किया जा रहा है । परिवाद के सम्बन्ध मे प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकनार्थ श्रीमान की सेवा मे सादर प्रेषित है ।

भवदीय

(शंकर लाल मीणा)
पुलिस उप अधीक्षक
वृताधिकारी महवा, जिला दौसा